रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 2010/फाल्गुन 14, 1931

No. 458] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 2010/PHALGUNA 14, 1931

गृह मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2010

का.आ. 543(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 5 फरवरी, 2010 को पृष्ठ 1 और 2 पर प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय के 5 फरवरी, 2010 के का.आ. 260(अ) की अधिसूचना के पृष्ठ 2 के :—

(i) कॉलम 1, पंक्ति 44 में "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, 1969" के लिए "अधिनियम" पढ़ा जाए;

(ii) कॉलम 2, पंक्ति 7 तथा 8 में "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, 1969" के लिए "अधिनियम" पढ़ा जाए।

[फा. सं. 14017/2/2009-एन आई-III]

डॉ. कश्मीर सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CORRIGENDA

New Delhi, the 5th March, 2010

S.O. 543(E)—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 260(E), dated 5th February, 2010, published at pages 3 and 4 in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 5th February, 2010, at page 4, in column 1,—

(i) in line 23, for "UAP Act, 1969", read "the Act";

(ii) in line 29, for "UAP Act, 1969", read "the Act".

[F. No. 14017/2/2009-NI-III]

Dr. KASHMIR SINGH, Jt. Secy.

882 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.